भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2150

जिसका उत्तर शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026/9 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है।

नई प्रौद्योगिकियों को अपनाया जाना

2150. डा. बायरेड्डी शबरी:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रमुख उर्वरकों की अनुमानित वार्षिक आवश्यकता, घरेलू उत्पादन, आयात और आयात-निर्भरता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने उर्वरक-उपयोग दक्षता में सुधार करने और रासायनिक उर्वरकों की खपत को कम करने में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों एवं प्रथाओं की भूमिका के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के समन्वय से मौसम के अनुसार खेती, फर्टिगेशन, नैनो उर्वरकों और अन्य पोषक तत्व-समर्थ प्रथाओं जैसी प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढावा देती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें अपनाए जाने की स्थिति क्या है;
(घ) पोषक तत्व-उपयोग दक्षता में सुधार और उर्वरक के संतुलित उपयोग के माध्यम से उर्वरकों पर आयात-निर्भरता को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
(ड.) क्या सरकार ने उर्वरक-उपयोग दक्षता में सुधार करने और आयात-निर्भरता को कम करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में उठाए जाने वाले कदम इस प्रकार हैं:

I. प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से, उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आकलित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को उर्वरकों का यथेष्ट/पर्याप्त मात्रा में आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

II. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

III. यूरिया और अन्य उर्वरकों की मांग (आवश्यकता) तथा उत्पादन के बीच के अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मौसम में किए जाने वाले आयात को भी पहले से ही अंतिम रूप दे दिया जाता है।

IV. राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे समय पर मांगपत्र जारी करके आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय स्थापित करें।

V. राज्यों के लिए पर्याप्त रेक देने, उर्वरकों को प्राथमिकता देने और रेकों की समय पर निकासी के लिए रेल मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जाती हैं।

VI. राज्य के भीतर जिला/ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त को देखते, चल रहे खरीफ मौसम 2026 अर्थात दिनांक 01.04.2026 से 27.07.2026 तक के दौरान देश में उर्वरकों नामत: यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस की उपलब्धता पर्याप्त बनी रही। उक्त अवधि के दौरान इन उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और शेष स्टॉक के बारे में जानकारी निम्नानुसार है:-

अखिल भारत					
चल रहे खरीफ मौसम 2026 के दौरान उर्वरकों की स्थिति (दिनांक 01.04.26 से 27.07.2026 तक)					
					आंकड़ें एलएमटी में
क्र. सं.	**उत्पाद**	**आवश्यकता**	**उपलब्धता**	**डीबीटी बिक्री**	**दिनांक 27.07.2026 तक शेष स्टॉक**
1	**यूरिया**	120.16	174.47	108.95	65.52
2	**डीएपी**	34.67	42.36	25.84	16.52
3	**एमओपी**	10.97	14.21	5.72	8.51
4	**एनपीकेएस**	52.89	88.01	43.70	44.31

इसके अलावा, देश में स्वदेशी रूप से उत्पादित एसएसपी का 21.23 एलएमटी का समापन स्टॉक भी है, जिसका उपयोग मिट्टी को फॉस्फेटिक या 'पी' पोषक तत्व प्रदान करने के लिए डीएपी के विकल्प के रूप में किया जाता है।

इसके अलावा, पिछले 5 वर्षों के दौरान देश में यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री के बारे में जानकारी **अनुलग्नक** में दी गई है।

इसके अलावा, इसके अलावा, पिछले 5 वर्षों के दौरान देश में यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके उर्वरकों के आयात के बारे में जानकारी निम्नानुसार है:

पिछले 5 वर्षों के दौरान देश में यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके का आयात				
				आंकड़ें एलएमटी में
वर्ष	**यूरिया**	**डीएपी**	**एमओपी**	**एनपीके**
2021-22	91.36	54.62	24.60	11.70
2022-23	75.80	65.83	18.66	27.52
2023-24	70.42	55.67	28.69	22.17
2024-25	56.47	45.69	35.41	22.72
2025-26	103.50	61.94	29.00	37.08

पिछले 5 वर्षों के दौरान देश में यूरिया, डीएपी और एनपीके उर्वरकों के उत्पादन के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:

पिछले 5 वर्षों के दौरान देश में यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीके का उत्पादन			
			आंकड़ें एलएमटी में
वर्ष	**यूरिया**	**डीएपी**	**एमओपी**
2021-22	250.72	42.22	89.67
2022-23	284.94	43.51	100.4
2023-24	314.09	42.97	101.85
2024-25	306.67	37.72	121.05
2025-26	293.26	39.14	128.37
स्त्रौत: dbtfert.nic.in			
एमओपी का उत्पादन घरेलू स्तर पर नहीं किया जाता है।			
एनपीके में मिश्रित उर्वरक और अमोनियम सल्फेट शामिल हैं।			

(ख) से (ड.): सरकार एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) को बढ़ावा दे रही है, जो कुशल और संधारणीय पोषक तत्व प्रबंधन के लिए जैविक स्रोतों, रासायनिक उर्वरकों और जैविक आदानों के विवेकपूर्ण और वैज्ञानिक एकीकरण की वकालत करता है। आईएनएम का उद्देश्य मिट्टी की दीर्घकालिक उर्वरता को बनाए रखते हुए किफायती और पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय तरीके से फसलों की पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह भी पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता में सुधार और मृदा के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए फसल चक्र, फसल अवशेष प्रबंधन और विविध कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देता है। संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन और संधारणीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए, सरकार निम्नलिखित प्रमुख पहलें लागू कर रही है:

(i) मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता स्कीम: मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता स्कीम के तहत उर्वरक के संतुलित उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है, जो 2014-15 से कार्यान्वित की जा रही है। स्कीम के तहत, मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) तैयार किए जाते हैं जो 12 मापदंडों-पीएच, विद्युत चालकता (ईसी), कार्बनिक कार्बन (ओसी), उपलब्ध नाइट्रोजन (एन), फास्फोरस (पी), पोटेशियम (के), सल्फर (एस), और सूक्ष्म पोषक तत्वों जस्ता (जेडएन), लोहा (एफई), तांबा (सीयू), मैंगनीज (एमएन), और बोरॉन (बी) के प्रयोगशाला विश्लेषण के आधार पर मृदा की पोषक स्थिति के बारे में बताते हैं। परीक्षण परिणामों के आधार पर, एसएचसी में फसल-वार उर्वरक खुराक की अनुशंसाएं की जाती हैं, जिससे संतुलित और सक्षम पोषक प्रबंधन को बढ़ावा मिलता है। कार्ड हर तीन साल में एक बार जारी किया जाता है, जिससे किसान उर्वरकों का विवेकपूर्ण उपयोग कर सकते हैं, मृदा की उर्वरता बनाए रख सकते हैं, फसल उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, खेती की लागत को कम कर सकते हैं और संधारणीय

कृषि को बढ़ावा दे सकते हैं। अब तक, 26.07 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार किए गए हैं और किसानों को जारी किए गए हैं।

(ii) प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी): 2015-16 से कार्यान्वित, इस स्कीम में सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से जल-उपयोग दक्षता को बढ़ावा मिलता है। स्कीम के तहत, लगभग 110 लाख हेक्टेयर को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया है।

(iii) वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी): 2014-15 से कार्यान्वित, इस स्कीम में आईसीएआर द्वारा विकसित एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) मॉडल को बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें कृषि को बागवानी, पशुधन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और अन्य संबद्ध गतिविधियों के साथ एकीकृत किया जाता है। शुरुआत से, 9.32 लाख हेक्टेयर को एकीकृत कृषि प्रणाली के तहत लाया गया है, जिससे 15.28 लाख किसानों को लाभ हुआ है।

(iv) कृषि वानिकी: "हर मेड़ पर पेड़" के आदर्श वाक्य के तहत, सरकार किसानों की आय और पारिस्थितिक संधारणीयता को बढ़ाने के लिए खेत की सीमाओं पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है। 2016 में स्कीम की शुरुआत के बाद से, 1,725 नर्सरी लगाई गई हैं और 1,594.48 लाख पौधे उगाए गए हैं।

(v) प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएनएफ): 25 नवंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित, एनएमएनएफ एक स्टैंडअलोन केंद्र प्रायोजित स्कीम है जिसका उद्देश्य खेत पर इनपुट का उपयोग करके रासायनिक-मुक्त, प्रकृति-आधारित खेती पद्धतियों को बढ़ावा देना है। इसमें 20.93 लाख किसान पंजीकृत हैं और 10.32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है।

(vi) परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई): 2015-16 से कार्यान्वित, पीकेवीवाई उत्पादन, प्रसंस्करण, प्रमाणन और विपणन को कवर करते हुए एंड-टू-एंड समर्थन प्रदान करके जैविक खेती को बढ़ावा देता है। अब तक 18.84 लाख हेक्टेयर भूमि को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया है, जिससे 33.94 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

(vii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीईएनईआर): 2015-16 के बाद से, यह स्कीम 100% केंद्रीय सहायता के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक खेती और मूल्य श्रृंखला विकास को बढ़ावा दे रही है। अब तक 2.36 लाख हेक्टेयर भूमि को जैविक खेती के अंतर्गत लाया गया है, जिससे 2.70 लाख किसानों को लाभ हुआ है।

(viii) नैनो उर्वरकों का संवर्धन: पोषक तत्वों के उपयोग की दक्षता में सुधार करने और पोषक तत्वों के नुकसान को कम करने के लिए, सरकार जागरूकता अभियानों, ड्रोन-आधारित छिड़काव, बैटरी चालित स्प्रे करने और प्रशिक्षित ग्राम-स्तरीय उद्यमियों के माध्यम से नैनो-उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है।

इसके अलावा, राज्यों ने 1.98 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को ग्रीन खाद के तहत शामिल करने की सूचना दी है। साथ ही भारत सरकार ने पहले ही सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार को वैकल्पिक उर्वरक के रूप में अमोनियम सल्फेट को बढ़ावा देने का निर्देश दिया है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने 25 नवंबर 2024 को देश में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन भी शुरू किया है। प्राकृतिक खेती एक रासायनिक मुक्त खेती है, जिसमें पशुधन (विशेषकर गाय की स्थानीय नस्ल) एकीकृत प्राकृतिक खेती के तरीकों और भारतीय पारंपरिक ज्ञान पर आधारित विविध फसल

प्रणालियों को शामिल किया गया है। प्राकृतिक खेती मृदा के स्वास्थ्य में सुधार और पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने और अधिक जलवायु लचीलापन प्राप्त करने के लिए किसान की लागत को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्राकृतिक खेती मिट्टी, पानी, माइक्रोबायोम, पौधों, जानवरों, जलवायु और मानवीय आवश्यकताओं के बीच प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की अन्योन्याश्रितता की पहचान करती है। 15वें वित्त आयोग की अवधि (मार्च 2026) तक कुल वित्तीय परिव्यय ₹2481 करोड़ (₹1584 करोड़ का केंद्रीय हिस्सा और ₹897 करोड़ का राज्यों का हिस्सा) है। मिशन के तहत, एक किसान को 2 साल के लिए प्रति एकड़, प्रति वर्ष 4000 रुपये का आउटपुट आधारित प्रोत्साहन (प्रति किसान 1 एकड़ तक) का प्रावधान है। प्रोत्साहन सहायता किसानों को प्राकृतिक खेती करने, अधिक किसानों को प्रशिक्षित करने, पशुधन के रखरखाव, मिश्रण और भंडारण कंटेनरों की खरीद या बायो-इनपुट संसाधन केंद्रों (बीआरसी) से इनपुट की खरीद सहित प्राकृतिक खेती के इनपुट तैयार करने के लिए है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, मिशन के तहत 10.32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 20.93 लाख किसानों को शामिल करते हुए 18,893 क्लस्टर बनाए गए हैं। प्रौद्योगिकी प्रसार और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए, 33,295 कृषि सखियों/सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) को प्रशिक्षित किया गया है और स्थानीय स्तर पर प्राकृतिक खेती के आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 7,601 बायो-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) बनाए गए हैं। इसके अलावा, 33.89 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक किया गया है और मिशन के तहत 18.13 लाख मृदा नमूने एकत्र किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹725.00 करोड़ के बजट आवंटन के मुकाबले, कुल ₹705.34 करोड़ जारी किए गए हैं और ₹599.68 करोड़ का उपयोग/व्यय किया गया है। प्राकृतिक खेती प्रमाणन प्रणाली (एनएफसीएस) के तहत 22.31 लाख से अधिक किसानों को पंजीकृत किया गया है, जिनमें से 14.05 लाख से अधिक किसानों को प्रमाणित किया गया है।

परम्परागत कृषि विकास स्कीम (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीईएनईआर)

वर्ष 2015-16 से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन (एमओवीसीडीईएनईआर) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। दोनों स्कीमों में ऑर्गेनिक खेती अर्थात इसके उत्पादन, प्रसंस्करण, प्रमाणन और विपणन में लगे हुए किसानों को शुरू से लेकर अंत तक सहायता प्रदान करने पर मुख्य ध्यान दिया जाता है। स्कीमों का प्राथमिक फोकस एक आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए जैविक समूहों का निर्माण करना है। दोनों स्कीमों को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के माध्यम से लागू किया जाता है। पीकेवीवाई के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें से ऑर्गेनिक कम्पोस्ट सहित कृषीतर/कृषिपरक जैविक आदानों के लिए किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। एमओवीसीडीएनईआर के तहत, किसान उत्पादक संगठन के निर्माण, जैविक आदानों के लिए किसानों को सहायता आदि के लिए 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 46,500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, स्कीम के तहत किसानों को कृषीतर/कृषिपरक जैविक आदानों के लिए प्रति हेक्टेयर 32500 रुपये की दर से सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें किसानों को किए जाने वाले प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में 15,000 रुपये शामिल हैं।

पीकेवीवाई स्कीम के तहत इसकी शुरूआत के बाद से (30.06.2026 तक) उपलब्धियां

- 18.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।
- इस स्कीम से 33.63 लाख किसानों को लाभ हुआ है।
- वर्ष 2015-16 से पीकेवीवाई स्कीम के तहत (30.06.2026 तक) कुल ₹2811.36 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा) जारी किया गया है।

एमओवीसीडीएनईआर स्कीम के तहत इसकी शुरूआत के बाद से (30.06.2026 तक) उपलब्धियां

- 2.36 लाख हेक्टेयर को जैविक खेती के तहत लाया गया है।
- 2.74 लाख किसानों को लाभ हुआ है।
- वर्ष 2015-16 से एमओवीसीडीएनईआर स्कीम के तहत (30.06.2026 तक) कुल ₹1548.62 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा) जारी किया गया है।

इसके अलावा, बाजार विकास सहायता (एमडीए) स्कीम (वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26) के तहत, गोबरधन पहल के तहत सीबीजी संयंत्रों में उत्पादित ऑर्गेनिक कार्बन संवर्धक, जैसे कि किण्वित ऑर्गेनिक खाद (एफओएम)/तरल किण्वित ऑर्गेनिक खाद (एलएफओएम) और ऑर्गेनिक उर्वरक, जैसे कि फॉस्फेट समृद्ध ऑर्गेनिक खाद (पीआरओएम) की बिक्री के लिए सीबीजी संयंत्रों/उर्वरक विपणन कंपनियों को 1500 रुपये/एमटी की सहायता दी जा रही है। सरकार की इस पहल से रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग का समाधान करने और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने की उम्मीद है।

इसके अलावा, सरकार देश में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष स्कीम लागू नहीं कर रही है। हालांकि, देश भर के किसानों के बीच नैनो उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- नैनो उर्वरकों के उपयोग को विभिन्न गतिविधियों जैसे जागरूकता शिविरों, वेबिनार, क्षेत्रीय प्रदर्शनों, किसान सम्मेलनों और क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों आदि के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है।
- नैनो उर्वरक संबंधित कंपनियों द्वारा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (पीएमकेएसके) पर उपलब्ध कराए जाते हैं।
- पर्ण अनुप्रयोग के माध्यम से नैनो यूरिया जैसे उर्वरकों के सहज अनुप्रयोग और उपयोग के लिए, 'किसान ड्रोन' जैसे अभिनव छिड़काव विकल्प और खुदरा बिक्री केन्द्रों पर बैटरी संचालित स्प्रेयर के वितरण जैसी पहल की गई हैं। इस उद्देश्य के लिए, ग्राम स्तर के उद्यमियों के माध्यम से पायलट प्रशिक्षण और कस्टम हायरिंग छिड़काव सेवाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाता है।

अनुलग्नक

यह अनुलग्नक 31.07.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.2150 के उत्तर के भाग (क) से संबंधित है।

अखिल भारत में वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक वर्ष-वार उर्वरकों की स्थिति

आंकड़े एलएमटी में

क्र.सं	वर्ष	यूरिया			डीएपी			एमओपी		एनपीकेएस			
		आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	बिक्री
1	2025-	381.45	450.79	396.60	110.42	121.72	100.8	26.82	30.58	22.56	158.49	198.97	150.37
2	2024-	364.01	443.83	387.92	111.92	105.14	96.29	22.21	30.85	22.02	151.29	183.72	149.72
3	2023-	356.08	437.47	357.81	110.18	127.42	109.7	27.62	22.74	16.45	126.31	156.51	116.80
4	2022-	359.19	415.82	357.26	114.20	130.93	105.3	34.17	19.55	16.32	120.69	138.15	107.31
5	2021-	356.53	389.68	341.73	123.90	100.49	92.64	37.10	27.06	23.93	122.74	135.74	121.37

1. सुविधाजनक उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता > आवश्यकता

2. सुविधाजनक उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता > बिक्री